



जोधपुर  
विद्युत वितरण  
निगम लि०

(संजय सरकार का उपकरण)

न्यू मावर हाउस, इन्डस्ट्रीयल एरिया, जोधपुर-342 003 फोन नं. 0291 2651313 (कम) फेक्स नं. 2651227

क्रमांक:- प्रनि/जोविनिगलि/अनु-पीपीएम/पत्रा०आर.ई.ओ./पे०सं० 1257 जोधपुर दिनांक 13/10/04

आदेश

विषय :- गाँवों में 24 घण्टे विद्युत सप्लाई प्रदान करने के सन्दर्भ में।

\*\*\*\*\*

निगम के आदेश क्रमांक -अप्रनि/जोधपुर डिस्कॉम/अनु-/पत्रा-/प्रे.सं.546 दिनांक 05/07/2001 (वाणिज्य/जोधपुर डिस्कॉम-48) के विन्दु संख्या 3 के अनुसार जनसंख्या गणना 1991 के अनुसार 5000 से अधिक आवादी वाले गाँवों में जहाँ विद्युत तंत्र उपलब्ध नहीं है, वहाँ पर नया विद्युत तंत्र का विस्तार करके निरन्तर विद्युत सप्लाई देने का निर्देश दिये गये थे।

निगम के आदेश क्रमांक/जोविनिगलि/अनु-पीपीएम/पत्रा.सामान्य/प्रे.1466 दिनांक 24.10.2002 (आर.ई.ओ-35) के विन्दु संख्या 3 में आंशिक संशोधन करते हुये यह निर्देश दिये गये कि 24 घण्टे विद्युत सप्लाई के लिये जिन गाँवों में विद्युत तंत्र उपलब्ध नहीं है वहाँ विद्युत तंत्र का विस्तार नहीं करने का निर्देश दिये गये थे।

समन्वय समिति की बैठक 75 वीं दिनांक 21/9/2004 के निर्णय अनुसार पुनः निर्देश दिये जाते हैं कि जनगणना 2001 के अनुसार जिन गाँवों की जनसंख्या 5000 से अधिक व उपभोक्ता 300 से अधिक है ऐसे गाँवों में अगर आवश्यक विद्युत तंत्र उपलब्ध नहीं है तो वहाँ विद्युत तंत्र का विस्तार करके 11 केवी लाईन एंवम 11/4 केवी सब स्टेशन निगम चाय पर स्थापित कर 24 घण्टे विद्युत सप्लाई देने का निर्देश दिये जाते हैं।

उक्त निर्देश तुरन्त प्रभाव से लागू होंगे।

(एच.एस.देवडा)  
मुख्य अभियन्ता (सी.पी.एम)  
जोधपुर डिस्कॉम जोधपुर।